attracting and retaining competent officers for service in North Eastern Region, orders were issued on 14.12.83. These allowances and facilities were further liberalised on 1.12.88. The Vth Central Pay Commission made certain recommendations suggesting further improvements in the allowances and facilities admissible to Central Govt. employees, including officers of the All India Services posted in the North Eastern Region. Based on the recommendations, the Ministry of Finance has recently issued orders giving various incentives and facilities to Central Government employees, including officers of All India Services posted in the North Eastern Region.

(b) and (c) These incentives are applicable to those who have all India transfer liability, as covered under Department of Expenditure's O.M. dated 22.7.1998.

(d) and (e) No specific study has been made so far.

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण

2143. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सचिव स्तर के और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों (भारतीय प्रशासनिक सेवा) का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानान्तरित किए गए इन सचिवों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का विस्तृत एंव अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके स्थानान्तरण से संबंधित मंत्रालयों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है; और

(घ) क्या इन स्थानान्तरणों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई हैं और जिसमें सरकार की कड़ी आलोचना की गई है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा में राज्य मंत्री) (श्री कादम्बूर एम॰आर॰ जनार्दनन): (क) पिछले छ: महीनों अर्थात् जून, 1998 से नवम्बर, 1998 तक की अवधि के दौरान सचिव के स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 24 अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है। इनमें से 6 अधिकारियों का स्थानांतरण, रिक्त पद या परिणामी रिक्त पद भरने हेतु किया गया। अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण पूर्णत:, प्रशासनिक हित में ही किया गया।

(ख) पिछले छ: महीनों अर्थात् जून, 1998 से नवम्बर, 1998 तक की अवधि के दौरान स्थानांतरित किए गए सचिव के स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 24 अधिकारियों की सूची संलग्न विवरण में है (नीचे देखिए)।

(ग) सरकार को, पहले से कर दिए इन स्थानांतरणों से मंत्रालयों के काम-काज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं लगती, क्योंकि ये स्थानांतरण रिक्त पद/परिणामी रिक्त पद भरने के लिए या प्रशासनिक हित में ही किए गए थे।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव के स्तर के किसी भी अधिकार के स्थानांतरण के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कोई भी याचिका दायर नहीं की गई, अत: उच्चतम न्यायालय को सरकार की आलोचना करने का कोई अवसर नहीं मिला।

विवरण

पिछले छ: महीनों अर्थात् जून, 1998 से नवम्बर, 1998 तक की अवधि के दौरान स्थानांतरित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव के स्तर के 24 अधिकारियों की सूची

10.06.1998 को

1. श्री एम॰ के॰ काव, नागर विमानन-मंत्रालय से योजना-आयोग में।
2. श्री आर॰ वासुदेव, जवाहर लाल नेहरू पत्तन-न्यास से भूतल-परिवहन-मंत्रालय में (रिक्त पद भरने के लिए)
3. श्री पी॰ वी॰ जयकृष्णन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-सरकार से नागर विमानन-मंत्रालय में।

16.06.1998 को

4. श्री के॰ बी॰ सक्सेना, स्वास्थ्य-विभाग से योजना-आयोग में।
5. श्री के॰ के॰ बक्शी, योजना-आयोग से स्वास्थ्य-विभाग में।

30.06.1998 को

6. डा॰ ई॰ ए॰ एस॰ शर्मा, विद्युत-मंत्रालय से व्यय-विभाग में (रिक्त पद भरने के लिए)
7. श्री वी॰ के॰ पंडित, योजना-आयोग से विद्युत-मंत्रालय में (परिणामी रिक्त पद भरने के लिए)

14.08.1998 को

8. श्री एन० के० सिंह, राजस्व-विभाग से प्रधान मंत्री के कार्यालय में (रिक्त पद भरने के लिए)
9. श्री० जे० ए० चौधरी, चीनी एवं खाद्य तेल-विभाग से राजस्व-विभाग में (परिणामी रिक्त पद भरने के लिए)
10. श्री आर० पी० सिन्हा, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण से चीनी और खाद्य तेल-विभाग में (परिणामी रिक्त पद भरने के लिए)
11. श्री प्रबीर सेनगुप्ता, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस-मंत्रालय से रक्षा-उत्पादन एवं पूर्ति-विभाग में।
12. श्री टी० एस० विजयराघवन, रक्षा-उत्पादन एवं पूर्ति-विभाग पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस-मंत्रालय में।
13. डॉ० एस० नारायण, कोयला-मंत्रालय से औद्योगिक विकास-विभाग एवं लोक-उद्यम-विभाग में।
14. श्री सी० आर० कमलनाथन, औद्योगिक विकास-विभाग एवं लोक-उद्यम-विभाग से गैर-पारम्परिक ऊर्जा-स्रोत-मंत्रालय में।
15. श्री एस० एस० बोपाराय, गैर-पारम्परिक ऊर्जा-स्रोत्-मंत्रालय से कोयला-मंत्रालय में।
16. श्री पी० एस० भटनागर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति-आयोग से खाद्य-प्रसंस्करण-उद्योग-मंत्रालय में।
17. श्री सी० टी० बैंजामिन, राष्ट्रीय अल्प संख्यक-आयोग से लघु-उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण-उद्योग-विभाग में।

26.08.1998 को

18. श्री ए० वी० गोकाक, दूरसंचार-विभाग से उर्वरक-विभाग में।
19. श्री अनिल कुमार, उर्वरक-विभाग से दूरसंचार-विभाग में।

27.11.1998 को

20. श्रीमती किरण अग्रवाल, शहरी कार्य एवं रोज़गार-मंत्रालय से महिला एवं बाल-विकास-विभाग में।
21. श्री अशोक पाहवा, राजभाषा-विभाग से शहरी कार्य एवं रोजगार-मंत्रालय में।
22. श्रीमती आशा दास, महिला एवं बाल-विकास-विभाग से राजभाषा-विभाग में।
23. श्री अरविन्द वर्मा, कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय से खान-विभाग में।
24. श्री बी० बी० टण्डन, खान-विभाग से कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में।

Standard for Departmental Examination

2144. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the criteria to fix the standard for Departmental Examination for Group-D working in various Central Government Offices;

(b) whether the final result is declared on the basis of existing vacancies in various Central Government Offices;

(c) if so, the details thereof, for the year 1996 and 1997;

(d) whether the SSC is following the prescribed norms to recruit LBC by Departmental Examination for Group-D, particularly, in respect of their number of vacancies i.e. 5% of the total vacancies of CSCS.

(e) if so, the details thereof for the year 1996 and 1997; and

(f) whether there is provision for supplementary list after final result?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) to (e) The Departmental Examination for Group-D employees is only a qualifying examination for appointment to Clerks Grade and is not related to vecancies in various Central Government offices. Appointments are, however, made by the cadre authorities against available vacancies in accordance with the rules/ regulations framed by them in this regard. The examination is held annually by the Staff Selection Commission. In the year 1996 the examination was held on 18.8.1996 and in 1997 it was held on 7.12.1997. The SSC has